भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

मानव संसाधन विभाग

(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

सं.ए.60011/अन्य./2019-आई. आर./1136 दिनांक: 05.07.2019

अंतर्विभागीय टिप्पणी

विषय: **केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) द्वारा आयोजित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सू.अ. अधिनियम, 2005 धारा 4 के प्रकटन की पारदर्शिता लेखा परीक्षा।**

सू.अ. अधिनियम की धारा 4, 2005 के तहत सूचना के प्रकटीकरण के संदर्भ में केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) द्वारा संचालित पारदर्शिता लेखापरीक्षा के अनुसार, निम्नलिखित औद्योगिक अनुभाग द्वारा संबंधित नीतियाँ एवं प्रमुख प्रपत्र वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने हेतु आपके कार्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं।

1. भा.वि.प्रा. में अधिकारी संघ को मान्यता प्रदान करने की नीति।
2. संघ/संगठन प्रतिनिधियों का नाम और पता।
3. संघ की मान्यता।
4. संगठन मान्यता दस्तावेज।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(गीता सिंह)

सहायक प्रबंधक (मा.सं.)

संलग्नक : यथोपरि

संयुक्त महाप्रबंधक (मा.सं.)- आर.डी.

महाप्रबंधक (मा.सं.)-एन.डी.

महाप्रबंधक (सू. प्रौ.)

प्रतिलिपि : i) महाप्रबंधक (नियम)/सी.एन.ओ.-सू.अ.

ii) सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.)-आर.के.

सं. ए. 60011/58/मान्यता प्राप्त संघ/2016-औ. सं./519-550 दिनांक: 01/03/2017

महासचिव
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभियंता गिल्ड
टी-2/7, आई.एन.ए. कॉलोनी
नई दिल्ली-110023

महासचिव
वायु यातायात नियंत्रक गिल्ड
टी-1/7, आई.एन.ए. कॉलोनी
नई दिल्ली-110023

महासचिव
वैमानिक संचार अधिकारी संघ
टी-1/6, पॉकेट-बी, आई.एन.ए. कॉलोनी
नई दिल्ली-110023

महासचिव
भा.वि.प्रा. अधिकारी संघ
टी-1/4, आई.एन.ए. कॉलोनी
नई दिल्ली-110023

महासचिव
आई.ए.ए.आई. अधिकारी संघ
भा.वि.प्रा. प्रचालन कार्यालय
गुड़गाँव रोड, नई दिल्ली-110037

महासचिव
सी.एन.एस. अधिकारी संघ
ए-1/5, शिवाजी अपार्टमेंट
रोहिणी, नई दिल्ली-110085

विषय: **भा.वि.प्रा. में अधिकारी संघों की मान्यता पर नीति का प्रवर्तन**

महोदय,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अधिकारी संघों की मान्यता पर एक नीति तैयार की गयी है और इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार परिचालित की जाती है।

2. तदनुसार, भा.वि.प्रा. में अधिकारी संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए परिचालित नीति (तत्काल प्रभाव से लागू करने की दृष्टि से) प्रस्तुत है।

भवदीय,

ह/-

(आई. पी. अगरवाल)

सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.)

वितरण:

- क्षे.का.नि.- उ.क्षे./ प.क्षे./द.क्षे./पू.क्षे./ उ.पू.क्षे.
- वि. नि.- एन.एस.सी.बी.आई./चेन्नई/सफदरजंग
- प्रधानाचार्य - सी.ए.टी.सी.
- का.नि. - आर.सी.डी.यू. / एफ.आई.यू.
- निदेशक- भा.वि.अ.
- म.प्र.- सी.आर.एस.डी./ई. एवं एम. कार्यशाला

प्रतिलिपि:

- अध्यक्ष के उ.म.प्र.(ई.ए.), भा.वि.प्रा.
- सदस्य (योजना)/ सदस्य (वित्त)/ सदस्य (मा.सं.)/ सदस्य (ए.एन.एस.)/ सदस्य (प्रचालन), मुख्य सतर्कता अधिकारी का उ.म.प्र.(ई.ए.)
- कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)/ कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)/म.प्र.(मा.सं.)/ म.प्र.(प्रशासन) के नि.स.
- महाप्रबंधक (विधि), नि.मु. - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

में

परिचालित अधिकारी

संघों की

मान्यता पर

नीति

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
निगमित मुख्यालय
राजीव गांधी भवन
नई दिल्ली

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
परिचालित संगठनों की मान्यता पर नीति

अनुक्रमणिका

सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
1	अध्याय 1 - भूमिका	3
2	अध्याय 2 - परिभाषाएँ	4
3	अध्याय 3 - द्वि-पक्षीय मंच - एक बहुआयामी दृष्टिकोण	5
4	अध्याय 4 - उद्देश्य	6
5	अध्याय 5 - सामान्य शर्तें	7 - 10
6	अध्याय 6 - भा.वि.प्रा. में अधिकारियों के संगठनों की मान्यता	11 - 13
7	अध्याय 7 - मान्यता के नियम और शर्तें	14 - 16

अध्याय 1

प्रस्तावना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) को विशेष कार्यबल के माध्यम से हवाई परिवहन सेवाएं और हवाई अड्डों और सिविल एन्क्लेवों का सामंजस्यपूर्ण प्रबंधन प्रदान करने

का काम सौंपा गया है। वर्तमान में संवर्ग या सामान्य के आधार पर भा.वि.प्रा. के भीतर विभिन्न अधिकारी संगठनों द्वारा विभिन्न कैडरों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। प्रबंधन ने कुल चार श्रेणियों में अधिकारी संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुद्दों के सौहार्दपूर्ण निपटान द्वारा स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए अपने कार्यबल के साथ संचार की स्थापना, रखरखाव और लगातार सुधार करने का निरंतर प्रयास करता है।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में संगठनों की मान्यता और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए प्रावधान करना उचित है। तदनुसार, एक नीति का गठन किया जाता है।

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का निगमित मुख्यालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003 (भारत) में स्थित है, इसके अलावा दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी में क्षेत्रीय मुख्यालय और पूरे भारत में हवाई अड्डों का प्रबंधन है।

अध्याय-2

परिभाषाएँ

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

"भा.वि.प्रा." का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है।

(ii) "प्रबंधन" का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रबंधन है।

(iii) "सदस्य" का अर्थ है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोई भी नियमित कार्यपालक जिसके पास संघ/गिल्ड की वैध सदस्यता है और निलंबन/समाप्ति के अधीन नहीं है।

(iv) "कार्यपालक" का अर्थ है - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के रोल पर नियमित कार्यपालक।

(v) "प्राधिकरण" का अर्थ है - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण।

(vi) "रजिस्ट्रार" से मतलब- सोसाइटी रजिस्ट्रार

(vii) " संघ" का अर्थ है भा.वि.प्रा. में सेवारत संघ/गिल्ड।

(viii) "नोडल अधिकारी" का अर्थ भा.वि.प्रा. द्वारा नामित अधिकारी है।

अध्याय-3

द्वि-पक्षीय मंच - एक बहुआयामी दृष्टिकोण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में औद्योगिक संबंधों को बहु-आयामी दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है और मोटे तौर पर वैधानिक दायित्वों, नीतियों और विकासात्मक रूपरेखा में काम करता है। नीतियों की मूल ताकत कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के बीच द्विपक्षीय चर्चा

और निरंतर आपसी बातचीत के माध्यम से मुद्दों का हल करना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों से निपटने में संगठनों के साथ स्वस्थ और सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर देता है।

2. द्विदलीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने और एक अनुकूल और स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए, चर्चा / विचार-विमर्श के माध्यम से मुद्दों के समाधान के लिए संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।

शिकायत निवारण तंत्र:

द्वि-पक्षीय मंचों के अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एक स्पष्ट कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है।

अध्याय - 4

उद्देश्य

भा.वि.प्रा. संघ के वृद्धि और विकास में अधिकारियों के योगदान को स्वीकार करता है। संघ के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

I. **<u>संघ के भीतर काम करने वाले सभी वर्गों के बीच पारस्परिक समझ और सद्भाव</u>ना** के उच्चतम स्तर को सुरक्षित करके, अधिकारियों के साथ प्रबंधन के हितों की रक्षा करना।

II. **<u>औद्योगिक संघर्षों से बचने</u>** और सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए, अधिकारियों की उत्पादक दक्षता, संघ एवं देश की औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है।

III. रोजगार से भरे युग के साथ **<u>उत्पादकता को उच्च स्तर</u>** तक बढ़ाना।

IV. **<u>कर्मचारी की साझेदारी के आधार पर औद्योगिक सद्भाव</u>** स्थापित करना और बनाए रखना, न केवल संघ के लाभ को साझा करने के लिए बल्कि प्रबंधकीय निर्णयों के लिए भी, ताकि व्यक्ति को पूरी तरह से पहचाना जा सके।

V. **<u>हड़तालों, तालाबंदी, गो-स्लो, विरोध रैली, बड़े पैमाने पर आकस्मिक छुट्टी और घेराव से बचने के लिए</u>**, हवाई अड्डों के सामान्य कामकाज में बाधा न डालना और इसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना।

VI. **<u>अधिकारियों के कौशल का विकास और सुधार करना,</u>** उन्हें लगातार विकसित हो रहे पर्यावरण में कुशलता से काम करने में सक्षम बनाना, जनशक्ति का इष्टतम उपयोग और इस प्रकार उच्च उत्पादकता की ओर ले जाना।

VII. **संघर्ष को कम करना।**

VIII. प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकारियों को अपने सदस्यों के व्यावसायिक मुद्दों और/या कल्याण संबंधी मुद्दों पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करना, जिसमें रोजगार का अनुबंध और इसके नियम व शर्त शामिल न हो।

IX. सौहार्दपूर्ण आपसी चर्चाओं के माध्यम से अधिकारी के समस्याओं को हल करने की दृष्टि हेतु विकास प्रशिक्षण में सुधार लाना।

X. औद्योगिक लोकतंत्र को शांति और छवि प्रदान करना और बनाए रखना।

2. प्रबंधन के पास एक / सभी या किसी भी संघ को वापस लेने / निलंबित / मान्यता रद्द करने का अधिकार है।

सामान्य शर्तें

1. **संघ का पंजीकृत कार्यालय:** सभी संपर्क व सूचना किसी भी संगठन के पंजीकृत कार्यालय के पते पर किया जाएगा जो उस संगठन का केंद्रीय कार्यालय का पता होगा, जो सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया गया हो और भा.वि.प्रा. को सूचित किया गया हो।

2. **संघ के पते और अन्य विवरणों में बदलाव:** संघ के विवरण में किसी भी बदलाव के मामले में और/या संघ के पंजीकृत कार्यालय पता परिवर्तन में, संघ को नोडल अधिकारी (आई.आर.), भा.वि.प्रा. को पंजीकृत डाक द्वारा या पावती द्वारा रजिस्ट्रार को संबोधित उक्त पत्र की एक प्रति संलग्न करके 14 दिनों के भीतर सूचित करना है।

3. **संघ की सदस्यता:** केवल नियमित अधिकारी (ई-1 से ई-9) जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के रोल पर हैं (न कि श्रमिक संघ के सदस्य) संघ के सदस्य बन सकते हैं। किसी बाहरी / सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा संघ की सदस्यता नहीं ली जाएगी। किसी भी सदस्य को तकनीकी या गैर-तकनीकी श्रेणी के भीतर दो संगठनों की सदस्यता रखने की अनुमति न होगी।

4. **संघ के पदाधिकारियों की अयोग्यता:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में उल्लिखित मानदंडों के अलावा, एक व्यक्ति स्वचालित रूप से एक संघ के कार्यकारी निकाय या किसी अन्य पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि:-

(i) यदि ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है।

(ii) सोसायटी रजिस्ट्रार के कार्यालय ने निर्देश दिया है कि, निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी संघ का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(iii) मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य या लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति (जो किसी प्रतिष्ठान या उद्योग में रोजगार नहीं है), जिसके साथ संघ जुड़ा हुआ है, किसी संघ के कार्यपालक या अन्य पदाधिकारी का सदस्य नहीं होगा।

(iv) यदि कोई कर्मचारी किसी भी श्रेणी में दो संघों में उसके नामित अधिकारी (पुराने संघ से इस्तीफा दिए बिना) के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे किसी भी संघ का सदस्य होने से दो साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5. **<u>वार्षिक विवरणी:</u>** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में मौजूद प्रत्येक संघ को आस्तियों और देयताओं सहित सभी प्राप्तियों और व्यय के संबंध में अपने नवीनतम (पिछले वर्ष) वार्षिक लेखापरीक्षित सामान्य विवरण/खातों (जैसा कि सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किया गया है) की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसे संघ ने सोसायटी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त नवीनतम लेखापरीक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, प्रबंधन को उक्त संघ को मान्यता के लिए विचार नहीं करने का अधिकार है। हालांकि, पहली बार मान्यता के लिए दस्तावेज जमा करते समय वर्ष 2015 के रिटर्न दाखिल करने के लिए छूट प्रदान की जाती है, इस वचन के साथ कि वे तीन महीने की अवधि के भीतर नवीनतम लेखापरीक्षित रिटर्न जमा करेंगे।

6. **<u>संघ / गिल्ड को वित्तीय सहायता का निषेध</u>**: कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भा.वि.प्रा. या उसके नियमों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के समर्थन में कोई राशि नहीं लगाएगा।

7. **<u>अनुचित प्रथाओं का निषेध</u>**: भा.वि.प्रा. के कोई भी कर्मचारी या भा.वि.प्रा. या प्रबंधन के कोई भी संघ निम्नलिखित किसी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं करेगा:

i. कार्य परिसर में काम के घंटों के बाद बैठना, प्रबंधकीय या अन्य कर्मचारियों में से किसी के "घेराव", जैसे प्रतिरोधी कार्यों को उकसाना।
ii. प्रबंधन के खिलाफ प्रतिरोधी गतिविधियों में लिप्त होना।
iii. किसी भी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित करना।
iv. उद्योग से जुड़ी नियोक्ता की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना।
v. बल या हिंसा के कृत्यों में लिप्त होना या किसी कर्मचारी या प्रबंधन को काम पर आने से रोकने के उद्देश्य से बल प्रयोग या हिंसा करना ।
vi. भा.वि.प्रा. के यात्रियों या व्यावसायिक भागीदारों को असुविधा प्रदान करना।

8. **<u>ट्रेड यूनियन चुनावों/गतिविधियों में भागीदारी पर प्रतिबंध:</u>**

अधिकारी संघ/गिल्ड का कोई भी सदस्य ट्रेड यूनियनों के चुनाव में अपने प्रभाव में कैनवास नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेंगे।

9. **<u>भा.वि.प्रा. कर्मचारियों द्वारा अन्य संगठनों की सदस्यता:-</u>**

कोई भी संघ/भा.वि.प्रा. कर्मचारी भा.वि.प्रा. के बाहर किसी संघ/गिल्ड आदि में शामिल नहीं होगा, या उसका सदस्य नहीं बना रहेगा, जिसके उद्देश्य या गतिविधियाँ भारत की

संप्रभुता और अखंडता, या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता या भा.वि.प्रा./नागर विमानन के हित के प्रतिकूल हैं।

8. **<u>अधिकारियों द्वारा संघ का गठन, उनके पति/पत्नी: रिश्तेदार और आश्रित, आदि:</u>**

संघ का कोई भी सदस्य/भा.वि.प्रा. का कर्मचारी/उनके पति या पत्नी, रिश्तेदार और आश्रित इत्यादि किसी भी एन.जी.ओ./संघ को भा.वि.प्रा. के ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों/विक्रेताओं या संघ के सदस्य/भा.वि.प्रा. के कर्मचारी के साथ वाणिज्यिक संबंध/आधिकारिक व्यवहार रखने वाले व्यक्तियों से किसी भी प्रकार के दान, विज्ञापन या प्रायोजन या संघ से संबंधित खर्चों के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। इस तरह के योगदान, यदि कोई हो, अनैतिक प्रथाओं को जन्म दे सकते हैं। भा.वि.प्रा. के किसी भी सदस्य / कर्मचारी या उनके आश्रितों द्वारा इन निर्देशों के उल्लंघन करने में, संबंधित सदस्य / संघ दो साल के लिए अयोग्य हो जाएगा।

9. **<u>प्रदर्शन और हड़ताल:</u>**

संघ का कोई भी सदस्य/भा.वि.प्रा. कर्मचारी -

(i) स्वयं को किसी ऐसे प्रदर्शन में शामिल करना या भाग लेना जो भा.वि.प्रा. के हितों के लिए हानिकारक हो, या

(ii) स्वयं या किसी अन्य भा.वि.प्रा. कर्मचारी के संचालन से संबंधित किसी भी प्रकार की हड़ताल या जबरदस्ती या शारीरिक दबाव / आंदोलन / घेराव / गो-स्लो / लॉक-आउट इत्यादि का सहारा लेना या किसी भी तरह से उसमें सहायता करना।

10. संघ का कोई भी सदस्य/भा.वि.प्रा. कर्मचारी, [किसी भी रेडियो प्रसारण, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित प्रसारण] में या अपने नाम से या गुमनाम रूप से, छद्म नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी भी दस्तावेज़ में या प्रेस को किसी भी संचार में या किसी भी सार्वजनिक बयान में, ऐसा कोई तथ्य या राय नहीं देगा जिसका प्रभाव केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी वर्तमान या हालिया दिशानिर्देशों या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना के रूप में हो।

11. **<u>आधिकारिक जानकारी का संप्रेषण: -</u>**

कोई भी संघ/भा.वि.प्रा. कर्मचारी, भा.वि.प्रा. के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या उसे सौंपे गए कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण प्रदर्शन को छोड़कर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ या उसके किसी हिस्से या वर्गीकृत/गोपनीय जानकारी को किसी भी भा.वि.प्रा. कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को सूचित नहीं करेगा, जिसे वह ऐसे दस्तावेज या वर्गीकृत/गोपनीय जानकारी संप्रेषित करने के लिए अधिकृत नहीं है।

14. यह नीति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत सभी कार्यालयों, निगमित मुख्यालय, क्षेत्रों, इकाइयों, हवाई अड्डों, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों, परियोजनाओं, नागरिक परिक्षेत्रों इत्यादि पर लागू है।

15. संक्रियात्मक संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल भा.वि.प्रा. के सदस्यों/कर्मचारियों में से की जाएगी।

16. संक्रियात्मक संघ कोई पत्रिका या बुलेटिन प्रकाशित नहीं करेगा जिसका प्रकाशन भा.वि.प्रा., केंद्र सरकार, सरकारी कर्मचारियों और सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण के हितों के लिए प्रतिकूल है, या भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के बीच के संबंध को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करे।

17. संक्रियात्मक संघ ऐसे किसी भी कार्य नहीं करेंगे या करने में कोई सहायता नहीं देंगे, जिससे भा.वि.प्रा. के आचरण नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन हो।

18. संक्रियात्मक संघ या उसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा प्रबंधन, मंत्रालय या सरकारी प्राधिकरण को संबोधित किए गए संचार में किसी भी प्रकार की अपमानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

19. यह नीति भा.वि.प्रा. द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

20. इस नीति के प्रख्यापन पर, इस विषय पर पहले के सभी आदेश/प्रथाओं/निर्देशों/सुविधाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

21. संघ अधिकारियों की ओर से 'सौदेबाजी एजेंट' नहीं होगा जो अन्यथा मान्यता प्राप्त संघ पर लागू होता है।

22. मान्यता प्राप्त संघ के साथ बैठक का कार्यवृत्त इसे प्रदान किया जाएगा और साथ ही मानव संसाधन निदेशालय के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

23. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में संघ की मान्यता पर इस नीति में यहां बनाए गए किसी भी या सभी खंड (खंडों) में संशोधन करने की पूरी शक्तियाँ हैं।

अध्याय - 6

<u>भा.वि.प्रा. में अधिकारियों के संगठनों की मान्यता</u>

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्गों से युक्त जनशक्ति है और भा.वि.प्रा. में अधिकारी संघ मौजूद हैं। मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से, मान्यता प्रदान करने में अधिक पारदर्शिता लाने और केवल मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए, निम्नलिखित नीति तैयार की गई है।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनेक संवर्ग कार्यरत हैं। विशेष संवर्गों में उनकी ताकत और कार्य की प्रकृति के आधार पर, यह निर्णय लिया जाता है कि ऐसे संवर्गों/विभागों को उनके अलग संवर्ग-आधारित संघ का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाएगी। ये संवर्ग आधारित संघ केवल उन अधिकारियों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, जो उस संवर्ग के भीतर है। तदनुसार, उक्त पृथक संवर्ग आधारित संघ निम्नलिखित संवर्गों में प्रवृत्त होंगे:-

(i) ए.टी.सी.

(ii) सी.एन.एस.

(iii) इंजीनियरिंग

(अखिल भारतीय आधार पर कुल तीन संवर्ग-आधारित संघ)

सी.एन.एस. संवर्ग संगठनों में सी.एन.एस. के अधिकारी शामिल होंगे; कॉम ऑप्स: कॉम-टेक; प्रचालन और रखरखाव (ओ.एम.) और इलेक्स, और इंजीनियरिंग संवर्ग संगठनों में इंजीनियरिंग और संरचना के अधिकारी शामिल होंगे। प्रत्येक तकनीकी संघ के पास संबंधित संवर्ग (संवर्गों) से ही अपना सदस्य होगा। यदि उपर्युक्त से कोई भी संघ, अन्य संवर्गों से भी अपना सदस्य है (जैसा निम्नलिखित है), तो उक्त संघ को संवर्ग-आधारित संघ के रूप में नहीं माना जाएगा और निम्नलिखित श्रेणी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि नीचे पैरा 3 के तहत संदर्भित है।

3. इसके अलावा, उपर्युक्त तीन संवर्ग आधारित संगठनों के अलावा, भा.वि.प्रा. (अखिल भारतीय आधार पर) में मान्यता प्रदान करने के लिए एक और अधिकारी संघ पर विचार किया जाएगा। उक्त अधिकारी संघ मा.सं./प्रशासन/वित्त/ वाणिज्य/भू./विधि/ राजभाषा/ प्रचालन/ पायलट/ सी.पी. व एम.एस./ पी.एम.क्यू.ए./ सी.ए. व सी.एस./ पी.आर./ बी.डी.सी./ हवाई अड्डा प्रणाली/ गृह व्यवस्था/ सू. प्रौ./ विपणन/ कार्गो/प्रशिक्षण केंद्र/ अग्निशमन सेवाएँ/ एम.टी./ कार्यशालाएँ इत्यादि के सामान्य संवर्गों में आने वाले भा.वि.प्रा. के अधिकारियों के कल्याण हेतु कार्य करेगा।

4. यदि कोई अधिकारी जो वास्तव में ए.टी.सी., सी.एन.एस. या इंजीनियरिंग संवर्ग से संबंधित है और उसके संवर्ग-आधारित संघ के तहत सदस्यता नहीं है, तो वह गैर-संवर्ग-आधारित संघ का सदस्य बन सकता है। तथापि, प्रत्येक अधिकारी केवल एक संघ का सदस्य होगा और दो संगठनों की सदस्यता नहीं ले सकता है।

5. तदनुसार, भा.वि.प्रा. के विभिन्न संवर्गों के बीच कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर कुल चार अधिकारियों के संघ को उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार मान्यता के लिए माना जाएगा।

6. **अधिकारी संघ की मान्यता के लिए शर्तें: -**

जो संघ, संवर्ग आधारित या नहीं, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो, 31 जनवरी तक भा.वि.प्रा. प्रबंधन को मान्यता पर विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है:-

क) आवेदन के साथ उक्त संघ के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति; संघ का ज्ञापन; इसका संविधान/नियम, साथ ही सोसायटी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए अंतिम रिटर्न की प्रमाणित प्रति और इसके सदस्यों के नाम (1 जनवरी की स्थिति के अनुसार) संलग्न होने चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और दिनांकित वचन पत्र/घोषणा भी संलग्न होनी चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि वह इस संघ का सदस्य है, साथ ही प्रबंधन द्वारा इस उद्देश्य के लिए संघ से अपेक्षित कोई अन्य जानकारी भी संलग्न होनी चाहिए। संघ प्रत्येक सदस्य से विधिवत हस्ताक्षरित और दिनांकित वचन/घोषणा के साथ निम्नलिखित प्रोफार्मा में सदस्यों की अपनी सूची प्रस्तुत करेगा, जिसमें कहा गया है कि वह ऐसे संघ का सदस्य है और ये उक्त संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों:

क्र सं	कर्मचारी सं	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	अधिकारी का पद (ई1-ई9 तक दर्शाएँ)	वर्तमान तैनाती स्थान
क	ख	ग	घ	ङ	च

ख) 01 जनवरी के स्थिति के अनुसार, सदस्यों की सूची के आधार पर, जैसा प्रत्येक पात्र संघ द्वारा प्रस्तुत किया है, कुल चार संघ (तीन संवर्ग आधारित और एक सामान्य संवर्ग के लिए), जिनमें अधिकतम संख्या में निर्विवाद सदस्य हैं (जो भा.वि.प्रा. के रोल पर हैं), अखिल भारतीय आधार पर, मुख्य रूप से दो साल की अवधि के लिए उसे मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

ग) यदि कोई अधिकारी का नाम एक से अधिक संगठनों की सूची में उसके सदस्य के रूप में पाया जाता है, तो उक्त नाम/सदस्यता को वैध नहीं माना जाएगा, जिसका अर्थ है, उक्त नाम को उन सभी सूचियों से हटा दिया जाएगा।

घ) प्रत्येक श्रेणी में परिचालन योग्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची में किसी भी विवाद के मामले में, भा.वि.प्रा. का प्रबंधन विवादित सदस्य (ओं) के नाम को, यदि कोई हो, अस्वीकार कर सकते है और भा.वि.प्रा. प्रबंधन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ङ) सभी संघों को निर्धारित प्रपत्र में 1 जनवरी तक के अपने सदस्यों की सूची सहित आवश्यक जानकारी 31 जनवरी तक जमा करना होगा। अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, किसी भी प्रकृति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और भा.वि.प्रा. का निर्णय अंतिम होगा।

च) प्रथम मान्यता के प्रयोजन हेतु, भा.वि.प्रा. के सभी मौजूदा अधिकारी संघ, जो मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें दिनांक: 30 अप्रैल, 2017 तक अपने आवश्यक दस्तावेज और दिनांक: 1 जनवरी, 2017 तक की स्थिति के अनुसार अपने सदस्यों की सत्यापित सूची प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक समय/अवधि के लिए सभी संघ अपने प्रत्येक सदस्य से एक विधिवत हस्ताक्षरित और दिनांकित वचन/घोषणा कार्यपालक निदेशक (मा. सं.) को मोहरबंद लिफाफे में उल्लिखित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगा जिसमें यह कहा गया है कि वह ऐसे संघ का सदस्य है। तदुपरान्त, संघ के दो साल पूरे होने पर अपने सदस्यों की सूची प्रस्तुत करेगा अर्थात जनवरी, 2019 तक; उसके बाद दिनांक: 31 जनवरी, 2021 तक, इत्यादि; चूंकि मान्यता की प्रत्येक अवधि दो साल के लिए होगी।

छ) भा.वि.प्रा. प्रबंधन के पास विवादग्रस्त सदस्यता के संबंध में वास्तविकता की जाँच उचित प्रक्रिया द्वारा करने का अधिकार है।

मैं,----------, सुपुत्र/सुपुत्री----------, भा.वि.प्रा. का स्थायी कर्मचारी, एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं और प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं केवल भा.वि.प्रा. के ..... संघ का सदस्य हूं।

मैं, आगे प्रमाणित करता/करती हूँ कि भा.वि.प्रा. के भीतर या बाहर अन्य किसी भी अधिकारी संघ की मुझे सदस्यता नहीं है।

वर्ष ..... के लिए यह मेरा पहला और अंतिम अपरिवर्तनीय वचनबद्धता है और यह अगली मान्यता प्रक्रिया तक मान्य होगा।

हस्ताक्षर
दिनांक
नाम
कर्मचारी सं.
पदनाम
वर्तमान स्टेशन

7. **<u>मान्यता की अवधि</u>** :-

प्रत्येक संवर्ग के संगठनों के मान्यता, मान्यता की तारीख से दो साल की अवधि के लिए होगी।

8. **<u>मान्यता प्राप्त संघ की जिम्मेदारियां:</u>**

संक्रियात्मक संघ अपने लक्ष्यों व सीमा के कड़ाई से पालन करेंगे और सरकार/ प्रबंधन/ नियामक निकाय/ सहयोगी संस्थाएं/ व्यावसायिक भागीदार आदि एवं इसके अधिकारी/कर्मचारी के हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

9. **<u>मान्यता वापसी</u>**

यदि, प्रबंधन की राय में, भा.वि.प्रा. द्वारा मान्यता प्राप्त संक्रियात्मक संघ, इस नीति में निर्धारित किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रबंधन, उक्त संघ को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, मान्यता वापस ले सकता है। इस विषय में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय - 7

मान्यता के निबंधन व शर्तें

1. मान्यता प्राप्त संघ समय-समय पर भा.वि.प्रा. द्वारा बनाए गए नियमों सहित अपने अनुशासन संहिता का पालन करेगा।

2. मान्यता प्राप्त संघ की भूमिका निभाते समय, संघ को निम्नलिखित का पालन करना है:

(i) किसी भी प्रकार के मौखिक या शारीरिक दुरुपयोग में संलग्न न हों।

(ii) प्रदर्शन या उपद्रव की अनुमति नहीं देना है।

(iii) संघ सदस्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी संघ गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं करेंगे।

(iv) अनुचित प्रथाओं को प्रोत्साहित करना जैसे (क) कर्तव्य की लापरवाही, (ख) लापरवाह संचालन, (ग) संपत्ति को नुकसान, (घ) सामान्य काम में हस्तक्षेप या गड़बड़ी और (ङ) अवज्ञा, आदि।

(v) व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ न करें व कोई व्यक्तिगत कायाकल्प शामिल नहीं किया जाएगा।

(vi) संघ के किसी भी सदस्य या संघ के किसी भी नामित अधिकारी को भा.वि.प्रा. प्रबंधन या उसके किसी अधिकारी या उनके परिवार के सदस्यों या सेवानिवृत्त अधिकारी के लिए किसी भी असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए।

(vii) सुचारू संचालन और स्वस्थ संबंधों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना चाहिए।

(viii) किसी भी अवैध गतिविधि, या धमकी आदि के मामले में, प्रबंधन उचित कार्रवाई कर सकता है।

(ix) कार्य-आदेशों, समझौतों और निर्णयों को लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई करना।

(x) इन दिशानिर्देशों/नीति की भावना के खिलाफ कार्रवाई करने या प्रबंधन के खिलाफ कोई गैरकानूनी कार्रवाई करने के लिए अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ नामंजूरी व्यक्त करना और उचित कार्रवाई करना।

(xi) ट्रेड यूनियनों द्वारा किसी भी हड़ताल/ प्रत्यक्ष कार्रवाई आदि के लिए समर्थन न करना।

(xii) स्व-संघ अधिकार के प्रयोग के लिए कर्मचारियों को मजबूर न करना या संघ में शामिल होना या उसे किसी अन्य संघ में शामिल होने से रोकना।

(xiii) समझौता/करार करने वाले प्रतिनिधि के प्रमाणन के खिलाफ प्रतिरोधी गतिविधियों न करना।

(xiv) नियोक्ताओं या प्रबंधकीय स्टाफ सदस्यों के निवास पर प्रदर्शन नहीं करना या उनके आवासीय पते पर कोई पत्र लिखना।

(xv) अधिकारी के कमरे/केबिन के सामने या कार्यालय परिसर के भीतर नारे / असंसदीय भाषा का उपयोग न करना।

(xvi) नियोक्ताओं/सरकारी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान न पहुंचाना।

(xvii) किसी भी अधिकारी/ नियोक्ता के खिलाफ बल या हिंसा के कृत्य न करना या उसे आधिकारिक कार्य में भाग लेने से रोकने की दृष्टि से धमकी देना।

3. प्राधिकरण हर दिन चौबीसों घंटे काम करता है और भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के ऑपरेटिंग एयरलाइंस/विमान की सेवा करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य के रूप में और इसके संचालन में किसी भी बाधा, नागरिक विमानन के क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: मान्यता प्राप्त संघ कोई भी ऐसे कार्रवाई न करेगा जिससे भा.वि.प्रा. के विमान, संचालन और समग्र कार्य की सुरक्षा को खतरा हो तथा इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए प्रबंधन के साथ खड़ा होगा।

4. मान्यता प्राप्त संघ कर्मचारी की शिकायतों के निवारण के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

5. मान्यता प्राप्त संघ के पदाधिकारी भा.वि.प्रा. के प्रति अपने कर्तव्यों के अलावा संघ की कार्य करेंगे और प्रबंधन द्वारा विधिवत मंजूरी दे दी गई अनुसूचित संघ की बैठकों में भाग लेने के अलावा संघ के काम के लिए कार्यालय समय के दौरान अपना कार्यस्थल नहीं छोड़ेंगे।

6. सभी कर्मचारी जिसका संघ में कोई भी दायित्व हो, निर्धारित समय, रोस्टर और प्रक्रिया के अनुसार अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। यह उल्लेख करना महत्त्वपूर्ण है कि संघ अपने सदस्यों के कल्याण के लिए हैं और ऐसे कर्तव्यों का पालन कार्यालय समय के बाद या छुट्टियों पर, काम की अत्यावश्यकता के रूप में किया जाना है और कार्यालय समय के दौरान आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने का कोई बहाना अस्वीकार्य है। इसके अलावा, संघ पदाधिकारियों द्वारा सामान्य या शिफ्ट ड्यूटी न करने के लिए कोई छूट नहीं है।

7. मान्यता प्राप्त संघ केवल कार्यपालकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और रोजगार की मौलिक शर्तों पर चर्चा नहीं करेंगे।

8. महत्त्वपूर्ण परिपत्रों/आदेशों की प्रतियां, भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर अपलोड करने के अलावा केवल मान्यता प्राप्त संघ को अनुलेखित की जाएंगी।

9. मान्यता प्राप्त संघ द्वारा किसी भी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने पर, प्रबंधन संगठनों को दी गई मान्यता को वापस ले सकता है।

10. **<u>स्थानांतरण से छूट:</u>** मान्यता प्राप्त संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष और सचिव (प्रत्येक श्रेणी से) को मान्यता की अधिकतम एक अवधि के लिए (दो साल के लिए) वार्षिक स्थानांतरण से छूट दी जाएगी। एक कार्यकाल पूरा होने पर, यदि एक ही संघ को अगले कार्यकाल के लिए मान्यता मिलती है, तो अगले दो कार्यकाल के लिए समान अधिकारियों के लिए छूट की अनुमति नहीं होगी। चार वर्षों के लिए, जिसका अर्थ है, जिन अधिकारियों ने पहले ही स्थानांतरण से छूट प्राप्त कर ली है, वे चौथे वर्ष के पूरा होने पर स्थानांतरण छूट के लिए पात्र हो जाएंगे। मान्यता प्राप्त संघ और/या क्षेत्रीय अधिकारी वाहकों व अन्य केंद्रीय अधिकारी को स्थानांतरण से कोई छूट नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी, मान्यता प्राप्त संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष या सचिव को यदि किसी अनैतिक या अवैध गतिविधियों में पाए गए तो नियमों के अनुसार कार्रवाई एवं स्थानांतरण की छूट उनसे वापस लिया जाएगा।

11. **<u>विद्युत:</u>** केंद्रीय कार्यालय आवास के लिए आई.एन.ए. कॉलोनी, नई दिल्ली में मान्यता प्राप्त संगठनों को केंद्रीय कार्यालय स्थान यदि भा.वि.प्रा. द्वारा आबंटित किया है, तो पहली 150 यूनिट बिजली और लागू कर से छूट दी जाएगी।

12. इस नीति के तहत स्थानांतरण से पहली छूट वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2018-19 से लागू होगी, तब तक पुरानी प्रथा लागू रहेगी।

संघ का नाम	**पता/फोन**	**महासचिव नाम और दूरभाषा सुश्री/श्री**
विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ	टी-3/2,3,4 आई.एन.ए. कॉलोनी नई दिल्ली -23 24646007, 24652408	बलराज सिंह अहलावत 9871717521
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इंजीनियर्स गिल्ड	टी-2/7 आई.एन.ए. कॉलोनी नई दिल्ली -23 24604165	एस. डी. तिवारी 9654094755
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गिल्ड (आई)	टी-1/7, पॉकेट बी आई.एन.ए. कॉलोनी, नई दिल्ली -23 24654571	डी. के. बेहरा 9818206415
अंतरराष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संघ	भा.वि.प्रा. प्रचालन कार्यालय गुड़गांव रोड, नई दिल्ली -37	एम.एम. गौतम 9910205699
विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संघ	टी-1/4, आई.एन.ए. कॉलोनी नई दिल्ली -23 24625113	मनीष शुक्ला

सं. ए60011/72/ यूनियन चुनाव/2017-18/आई. आर./1549-1578 दिनांक: 16/02/2018

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उ.क्षे./द.क्षे./प.क्षे./पू.क्षे./ उ.पू.क्षे.
हवाई अड्डा
दिल्ली/चेन्नई/मुंबई/कोलकाता/गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
एन.एस.सी.बी.आई./चेन्नई अंतरराष्ट्रीय
कोलकाता/ चेन्नई

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
आरसीडीयू/ एफआईयू
नई दिल्ली

निदेशक
भारतीय विमानन अकादेमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य
नागर विमानन प्रशिक्षण कॉलेज (सी.ए.टी.सी.)
बमरौली, इलाहाबाद

महाप्रबंधक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सी.आर.एस.डी./ ई. व एम. कार्यशाला
नई दिल्ली

<u>विषय: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में बहुमत संघ को मान्यता प्रदान करने के संबंध में।</u>

महोदय,

भा.वि.प्रा. (अखिल भारतीय आधार पर) पर आयोजित गुप्त मतदान जनमत संग्रह के परिणाम के अनुसार, विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ (पंजीकरण सं. 3515) प्रतीक "झंडा" को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बहुमत संघ के रूप में घोषित किया जाता है।

2. तदनुसार, विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ, जिसने सबसे अधिक वोट (अखिल भारतीय आधार पर) प्राप्त किया है, पाँच साल की अवधि के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मान्यता प्राप्त यूनियन/ एकमात्र सौदेबाजी संघ घोषित किया जाता है।

3. सदस्य (मा.सं.) द्वारा महासचिव, विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ को जारी किया गया दिनांक: 16/02/2018 की पत्र सं. ए.60011/72/ यूनियन चुनाव/2017-2018/ आई. आर. तथा मान्यता के निबंधन व शर्तें जानकारी एवं रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

भवदीय,
ह/-
(आई. पी. अगरवाल)
सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.)
सदस्य सचिव, मुख्य चुनाव समिति

संलग्न: यथोपरि।

प्रतिलिपि :-

- महासचिव, ए.ए.ई.यू.
- महासचिव, ए.ए.आई.एम.एस.
- महासचिव, आई.ए.के.यू.

वितरण:

- अध्यक्ष के उ.म.प्र.(ई.ए.), भा.वि.प्रा.
- सदस्य (योजना)/ सदस्य (वित्त)/ सदस्य (मा.सं.)/ सदस्य (ए.एन.एस.)/ सदस्य (प्रचालन), मुख्य सतर्कता अधिकारी के उ.म.प्र.(ई.ए.)
- कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)/ कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)/म.प्र. (मा.सं.)-जेकेजी, अध्यक्ष, मुख्य चुनाव समिति
- संयुक्त महाप्रबंधक (राजभाषा)- हिन्दी संस्करण हेतु
- महाप्रबंधक (सू. प्रौ.) - भा.वि.प्रा. वेबसाइट में अपलोड करने के लिए
- सूचना पट्ट

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

दिनांक: 07 फरवरी, 2018 को आयोजित संघ चुनाव 2018 के समेकित मतदान परिणाम

मतदान की कुल संख्या	अमान्य मतदान	मान्य मतदान	के पक्ष के मतदान की संख्या		
			ए.ए.ई.यू.*	ए.ए.आई.एम.एस.**	आई.ए.के.यू.***
8430	63	8367	4124	191	4052

* एयरपोर्टस अथॉरिटी एम्पलाइज यूनियन

** एयरपोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया मजदूर संघ

*** इंडियन एयरपोर्टस कामगार यूनियन

ह/-

नई दिल्ली
दिनांक: 16.02.2018

(आई पी अगरवाल)
सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.)
सदस्य सचिव, मुख्य चुनाव समिति

मान्यता की नियम व शर्तें

1. संघ की मान्यता 2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए होगी या जब तक कि संघ भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926 के तहत अपना पंजीकरण (संख्या 3515) बनाए रखता है या प्रबंधन मान्यता वापस नहीं लेता है, जो भी पहले हो।

2. संघ पारस्परिक रूप से सहमत अनुशासन संहिता (अनुबंध-I के रूप में संलग्न प्रति) का पालन करेगा। प्रबंधन अपनी ओर से अनुशासन संहिता का पालन करेगा।

3. मान्यता प्राप्त संघ को सुविधाएँ दिनांक: 27.11.2002 के भा.वि.प्रा. कार्यालय आदेश सं. आई. आर./1104/1/2002/2594 के अनुसार प्रदान किया जाएगा या जैसा कि प्रबंधन द्वारा संशोधित किया जाए।

4. मान्यता प्राप्त संघ की भूमिका निभाते समय- संघ को निम्नलिखित का पालन करने के लिए कहा जाता है: -

4.1 प्राधिकरण हर दिन चौबीसों घंटे काम करता है और भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के ऑपरेटिंग एयरलाइंस/विमान की सेवा करने के लिए एक वैधानिक कर्तव्य के रूप में और इसके संचालन में किसी भी बाधा, नागर विमानन के क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अत: मान्यता प्राप्त संघ कोई भी ऐसे कार्रवाई न करेगा जिससे भा.वि.प्रा. के विमान, संचालन, यात्री या भा.वि.प्रा. व उसके सहयोगी और सहायक कंपनियाँ आदि समग्र कार्य की सुरक्षा को खतरा हो।

4.2 संघ केवल ऐसी श्रेणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिन्हें 2018 के दौरान जनमत संग्रह में मतदान करने के लिए पात्र बनाया गया था।

4.3 संघ व्यक्तिगत कर्मचारी की शिकायतों के निवारण के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

4.4 संघ द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो पाँच से अधिक न हो, संबंधित स्टेशन/यूनिट में तैनात कर्मचारी की सामान्य और सामूहिक शिकायतों पर प्रबंधन के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों (नि.मु./क्षे. मु./हवाई अड्डे/फील्ड स्टेशन) से नियत दिनांक व समय पर मिलके चर्चा कर सकते हैं।

4.5 आवधिक बैठक नि. मु. में महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के साथ महीने में एक बार और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन के साथ 6 महीने में एक बार और अध्यक्ष (यदि आवश्यक हो) के साथ वर्ष में एक बार आयोजित की जा सकती है। ये बैठकें उचित कार्यसूची एवं न्यूनतम दो-तीन सप्ताह की पूर्व सूचना के साथ आयोजित की जाएँगी।

4.6 क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ विमानपत्तन निदेशक/ हवाई अड्डों/ क्षेत्र इकाइयों कार्यालय के अधिकृत अधिकारी, नियत दिनांक व समय पर महीने में एक बार अधिकृत प्रतिनिधियों से मिलेंगे। क्षेत्रीय मुख्यालय और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के मामले में, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/ विमानपत्तन निदेशक की अध्यक्षता में पारस्परिक रूप से सहमत संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।

4.7 केंद्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जे.सी.एम.) की बैठकें पाँच साल की अवधि में दो बार आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय जे.सी.एम. का नेतृत्व सदस्य (मानव संसाधन) करेंगे और संघ की भागीदारी केवल मान्यता प्राप्त संघ के 60 (साठ) केंद्रीय पदाधिकारियों तक ही सीमित होगी। क्षेत्रीय स्तर पर जे.सी.एम. का नेतृत्व मेट्रो हवाई अड्डे के क्षे.का.नि./वि.नि. करेंगे और मान्यता प्राप्त संघ की भागीदारी 25 (पच्चीस) स्थानीय पदाधिकारियों तक सीमित होगी। क्षेत्रीय जे.सी.एम. बैठक के लिए नि. मु. के अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में नामित किया जाएगा।

4.8 उपर्युक्त आवधिक बैठकों का उद्देश्य संगठनात्मक हित की सूचना का आदान-प्रदान करना, कर्मचारियों से संबंधित सामान्य मुद्दों पर चर्चा करना, लोकतांत्रिक मंच पर, नियमों और विनियमन के रूपरेखा के भीतर ऐसे मुद्दों का हल करना है।

4.9 मान्यता प्राप्त संघ के पदाधिकारी, वरिष्ठ प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बिना संघ कार्य के लिए कार्य समय के दौरान अपना कार्यस्थान नहीं छोड़ेंगे, सिवाय अनुसूचित संघ की बैठकों में भाग लेने के, जिन्हें प्रबंधन द्वारा विधिवत मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके अलावा वे नियमों के अनुसार शिफ्ट ड्यूटी भी करेंगे।

4.10 मान्यता प्राप्त संघ, कर्मचारियों से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने का हकदार होगा। रोजगार की मौलिक शर्तें, सेवा की शर्तें, स्थानांतरण नीति, आवास आबंटन, सी.पी.एफ., खेल, चिकित्सा लाभ, वर्दी, कैंटीन सुविधाएँ और संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कर्मचारियों की श्रेणियों के हित में औद्योगिक संबंधों और कल्याण से संबंधित अन्य सभी मुद्दे।

5. संघ को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए, प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी:

5.1 संघ को प्रबंधन द्वारा आबंटित उपयुक्त स्थल पर सूचना-पट्ट लगाने की अनुमति है और इसके अलावा संघ उस पर कोई भी जानकारी चिपका सकता है जो अपमानजनक, अनुशासन की अशिष्ट, भड़काऊ, विध्वंसक या अन्यथा अनुशासन संहिता के अक्षरशः और भावना के विपरीत न हो।

5.2 संघ हवाई अड्डों/भा.वि.प्रा. कार्यालयों/इकाइयों/भवनों, फर्नीचर, अलमारियों आदि पर किसी भी प्रकार के पोस्टर नहीं चिपकाएगा और न ही उन्हें विकृत करेगा, जिसमें कॉलोनियों में स्थित कार्यालयों और अन्य भवनों की दीवारों/कांच पर लिखना आदि शामिल है।

5.3 यदि संघ राजीव गांधी भवन या आसपास के क्षेत्र के परिसर के भीतर अपनी सामान्य निकाय बैठक आदि आयोजित करना चाहता है, तो प्रबंधन से पूर्व लिखित अनुमोदन की आवश्यकता है। इसके अलावा, ऐसी सभी बैठकों के लिए, आबंटित स्थान (यदि आबंटित किया जाए/ अधिकृत) वह स्थान होगा जिससे ना.वि.म./ भा.वि.प्रा. के आधिकारिक कामकाज में कोई बाधा न आए। साथ ही, कार्यालय समय के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी।

5.4 संघ राजीव गांधी भवन परिसर के भीतर ढोल आदि नहीं बजाएगा।। इसके अलावा, लाउडस्पीकर केवल 'सी' ब्लॉक के (-2) माइनस दो स्तरीय पार्किंग क्षेत्र में ही बजाने की अनुमति होगी।

5.5 मान्यता प्राप्त संघ के अध्यक्ष, महासचिव और आठ अन्य केंद्रीय कार्यकारी सदस्यों को ही उनकी मान्यता की अवधि के दौरान नियमित स्थानांतरण से छूट दी जाएगी।

5.6 संघ के अध्यक्ष और महासचिव को भा.वि.प्रा. के सभी कार्यालयों, स्टेशनों पर प्रबंधन के नामित अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए कार्यालय परिसर का दौरा करने के लिए उचित पहचान/ अनुमति कार्ड दिया जाएगा। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा नियंत्रित भा.वि.प्रा. के प्रतिबंधित परिसर में संचार, ऐसे परिसर में संचार को उपयुक्त अधिकारियों के माध्यम से चैनलाइज करना होगा।

5.7 विशेष आकस्मिक अवकाश की मंजूरी समय-समय पर लागू नियमों के आधार पर होगी।

5.8 जहां तक अनुमति हो, पदाधिकारियों को मान्यता प्राप्त संघ द्वारा पत्र/ अनुरोध प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक अवधि के लिए संरक्षित कामगार के रूप में मान्यता दी जाएगी।

5.9 नीतिगत मामलों की प्रतियां, महत्त्वपूर्ण परिपत्रों और अन्य जानकारी को मान्यता प्राप्त संघ को अनुलेखित किया जाएगा।

5.10 मान्यता प्राप्त संघ द्वारा किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करने पर, प्रबंधन संगठनों को दी गई मान्यता को रद्द कर सकती है।

अनुलग्नक- I

अनुशासन संहिता

संघ निम्नलिखित अनुशासन संहिता का पालन करने के लिए सहमत है।

1. **प्रबंधन और संघ सहमत हैं**

(i) कि किसी भी औद्योगिक मामले के संबंध में कोई एकतरफा कार्रवाई नहीं की जाएगी और विवादों को उचित स्तर पर निपटाया जाएगा।

(ii) कि विवादों के निपटाने के लिए मौजूदा मशीनरी का उपयोग अत्यंत शीघ्रता के साथ किया जाएगा।

(iii) कि बिना सूचना के कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं होगी।

(iv) कि जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं, भविष्य के सभी मतभेदों, विवाद और शिकायतें, आपसी बातचीत सुलह और स्वैच्छिक मध्यस्थता द्वारा आदि को निपटाने के लिए खुद को बाध्य करते हैं।

(v) कि कोई भी पार्टी (क) जबरदस्ती (ख) डराना या (ग) उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे।

(vi) कि वे (क) मुकदमेबाजी (ख) हड़ताल (ग) लॉक-आउट आदि नहीं करेंगे।

(vii) कि वे सभी स्तरों पर अपने प्रतिनिधियों के बीच और स्वयं कर्मचारियों के बीच रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा देंगे तथा पारस्परिक रूप से प्रवेश किए गए समझौते की भावना का पालन करेंगे।

(viii) कि वे पारस्परिक रूप से सहमत शिकायत प्रक्रिया स्थापित करेंगे जो निपटान के लिए एक त्वरित और पूर्ण जाँच सुनिश्चित करेगी।

(ix) कि वे शिकायत प्रक्रिया में विभिन्न चरणों का पालन करेंगे और कोई विवेकाधीन कार्रवाई नहीं करेंगे जो इस प्रक्रिया को पारित करेगी।

(x) कि वे प्रबंधन और कर्मचारियों को एक-दूसरे के प्रति अपने दायित्वों के बारे में प्रशिक्षित करेंगे।

(xi) कि उन्हें मेट्रो व गैर-मेट्रो कर्मचारियों के लिए क्षेत्र में एकीकृत एकल संघ कार्यालय होगा।

(xii) कि मेट्रो व गैर-मेट्रो संघ प्रतिनिधि/ कार्यालयों की कोई अलग पहचान नहीं होगी।

2. **प्रबंधन सहमत**

(i) किसी भी अनुचित श्रम प्रथाओं का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करेंगे जैसे (क) संघ के सदस्यों के रूप में नामांकन या संघ के सदस्य जारी रखने के कर्मचारियों के अधिकार में दखल अंदाजी करना (ख) ट्रेड यूनियन की मान्यता प्राप्त वैध गतिविधि के लिए किसी कर्मचारी के साथ भेद भाव या उनपर दबाव डालना (ग) किसी कर्मचारी के साथ अत्यचार करना या किसी भी रूप में अधिकार का दुरुपयोग करना।

(ii) (क) शिकायतों के निपटान और (ख) समाधान, अधिनिर्णय, पंचाट, निर्णय, आदेश आदि कार्यान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई करना।

(iii) तत्काल बर्खास्तगी को उचित ठहराने वाले कार्यों और उन कार्यों के बीच अंतर करना, जिनमें बर्खास्तगी से पहले चेतावनी, फटकार, निलंबन या किसी अन्य प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक हो, और यह व्यवस्था करना कि ऐसी सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयां सामान्य शिकायत प्रक्रिया के माध्यम से और भा.वि.प्रा. ई.सी.डी.ए. विनियमों के अनुसार अपील के अधीन हों।

3. **<u>संघ सहमत है/हैं -</u>**

i. किसी भी रूप में शारीरिक दबाव, डराना आदि में शामिल न होना।

ii. उन प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देंगे जो शांतिपूर्ण नहीं हैं और प्रदर्शन में उपद्रव की अनुमति नहीं देंगे।

iii. किसी भी पदाधिकारी द्वारा असंयमी और/ या अपमानजनक भाषा का उपयोग करने की अनुमति नहीं देना।

iv. कि उनके सदस्य, कार्यालय समय के दौरान किसी भी यूनियन गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं करेंगे।

v. अनुचित श्रम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना जैसे (क) कर्तव्य की लापरवाही (ख) लापरवाह संचालन (ग) सरकार / भा.वि.प्रा. या उसके सहयोगी की संपत्ति को नुकसान। (घ) कार्यालय कार्य में हस्तक्षेप या गड़बड़ी करना और (ङ) आज्ञाभंग/अनधीनता।

vi. कार्य आदेशों, भुगतान, समझौता और निर्णयों को लागू करने के लिए त्वरित कार्रवाई करना।

vii. धमकी न देना और घेराव का सहारा न लेना, गैरकानूनी प्रदर्शन, नारे लगाना, कार्यालयीन संव्यापार में हस्तक्षेप न करना, किसी भी तरह का व्यवधान पैदा न करना, दैनिक कार्यालयीन कार्य में हस्तक्षेप न करना।

viii. संघ कार्यालयों में विशिष्ट स्थानों पर स्थानीय भाषा (भाषाओं) में इस संहिता के प्रावधानों को प्रदर्शित करना।

ix. इस संहिता की भावना के खिलाफ कार्य करने पर पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ असम्मति व्यक्त करना और उचित कार्रवाई करना।

****

सं. ए. 60011/69/अधिकारी संघ के मान्यता/ 2017-आई.आर./1694-001 दिनांक: 22/05/2018

महासचिव

आई.ए.ए.आई. अधिकारी संघ

भा.वि.प्रा. प्रचालन कार्यालय

गुडगाँव रोड, नई दिल्ली 110023

विषय: <u>आई.ए.ए.आई. अधिकारी संघ को विभिन्न संवर्ग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ के रूप में मान्यता प्रदान करना।</u>

दिनांक: 09.11.2017 की पत्र संख्या ए.60011/69/ अधिकारी संघ के मान्यता/2017-आई.आर./966 के संबंध में आई.ए.ए.आई. अधिकारी संघ को सदस्यता के आधार पर दिनांक: 31.03.2019 तक की अवधि के लिए विभिन्न संवर्ग अधिकारी संघ के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि सी.एम. संख्या.9583/2018 के तहत दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आई.ए.ए.आई. अधिकारी संघ को विभिन्न संवर्ग अधिकारी संघ के रूप में मान्यता की अवधि अब दिनांक: 09.11.2019 तक लागू रहेगी या जब तक संघ अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण बनाए रखता है या भा.वि.प्रा. का प्रबंधन मान्यता रद्द नहीं करता है, जो भी पहले हो।

2. दिनांक: 09.11.2017 के मान्यता पत्र में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(निवेदिता दुबे)

महाप्रबंधक (मा.सं.)

प्रतिलिपि :

- क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - उ.क्षे./प.क्षे./पू.क्षे./उ.पू.क्षे./द.क्षे.
- विमानपत्तन निदेशक, चेन्नई

- विमानपत्तन निदेशक, कोलकाता

सं. ए. 60011/69/अधिकारी संघ के मान्यता/ 2017-आई.आर./1687-93 दिनांक: 22/05/2018

महासचिव

भा.वि.प्रा. इंजीनियर्स गिल्ड

टी-2/7, आई.एन.ए. कॉलोनी

नई दिल्ली 110023

विषय: <u>भा.वि.प्रा. इंजीनियर्स गिल्ड को इंजीन्यरिंग संवर्ग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ के रूप में मान्यता प्रदान करना।</u>

दिनांक: 17.01.2018 व 23.01.2018 की पत्र संख्या ए.60011/69/ अधिकारी संघ के मान्यता/2017-आई.आर./1275 के संबंध में भा.वि.प्रा. इंजीनियर्स गिल्ड को सदस्यता के आधार पर दिनांक: 31.03.2019 तक की अवधि के लिए इंजीन्यरिंग संवर्ग अधिकारी संघ के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि सी.एम. संख्या.9583/2018 के तहत दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भा.वि.प्रा. इंजीनियर्स गिल्ड को इंजीन्यरिंग संवर्ग अधिकारी संघ के रूप में मान्यता की अवधि अब दिनांक: 09.11.2019 तक लागू रहेगी या जब तक संघ अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण बनाए रखता है या भा.वि.प्रा. का प्रबंधन मान्यता रद्द नहीं करता है, जो भी पहले हो।

4. दिनांक: 09.11.2017 के मान्यता पत्र में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(निवेदिता दुबे)

महाप्रबंधक (मा.सं.)

प्रतिलिपि :

- क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - उ.क्षे./प.क्षे./पू.क्षे./उ.पू.क्षे./द.क्षे.
- विमानपत्तन निदेशक, चेन्नई
- विमानपत्तन निदेशक, कोलकाता

सं. ए. 60011/69/अधिकारी संघ के मान्यता/ 2017-आई.आर./1679-86 दिनांक: 22/05/2018

महासचिव,

विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संघ (I)

टी-1/4, आई.एन.ए. कॉलोनी

नई दिल्ली 110023

विषय: **<u>ए.ए. अधिकारी संघ (I) को सी.एन.एस. संवर्ग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ के रूप में मान्यता प्रदान करना।</u>**

दिनांक: 09.11.2017 की पत्र संख्या ए.60011/69/ अधिकारी संघ के मान्यता/2017-आई.आर./967 के संबंध में ए.ए. अधिकारी संघ (I) को सदस्यता के आधार पर दिनांक: 31.03.2019 तक की अवधि के लिए सी.एन.एस. संवर्ग अधिकारी संघ के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि सी.एम. संख्या.9583/2018 के तहत दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, ए.ए. अधिकारी संघ (I) को सी.एन.एस. संवर्ग अधिकारी संघ के रूप में मान्यता की अवधि अब दिनांक: 09.11.2019 तक लागू रहेगी या जब तक संघ अधिनियम के तहत अपना पंजीकरण बनाए रखता है या भा.वि.प्रा. का प्रबंधन मान्यता रद्द नहीं करता है, जो भी पहले हो।

1. दिनांक: 09.11.2017 के मान्यता पत्र में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।
2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-
(निवेदिता दुबे)
महाप्रबंधक (मा.सं.)

प्रतिलिपि :

- क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक - उ.क्षे./प.क्षे./पू.क्षे./उ.पू.क्षे./द.क्षे.
- विमानपत्तन निदेशक, चेन्नई

- विमानपत्तन निदेशक, कोलकाता

सं. ए. 60011/69/अधिकारी संघ के मान्यता/ 2017-आई.आर./967 दिनांक: 09/11/2017

महासचिव
विमानपत्तन प्राधिकरण अधिकारी संघ (I)
टी-1/4, आई.एन.ए. कॉलोनी
नई दिल्ली 110023

विषय: <u>ए.ए. अधिकारी संघ (I) को सी.एन.एस. संवर्ग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ के रूप में मान्यता प्रदान करना</u>

भा.वि.प्रा. में अधिकारी संघों को मान्यता देने संबंधी नीति के गठन और प्रसार एवं दिनांक: 27.06.2017 की पत्र संख्या *ए.60011/69/ अधिकारी संघ के मान्यता/2017-आई.आर./728-35* तथा दिनांक: 11.09.2017 को अधिकारी संघ को मान्यता प्रदान करने के विषय पर भा.वि.प्रा. के सभी अधिकारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के नतीजे एवं सदस्यता आंकड़ों के आधार पर ए.ए. अधिकारी संघ (I) (पंजीकरण सं. एस. 21593) को सी.एन.एस. संवर्ग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला मान्यता प्राप्त अधिकारी संघ के रूप में दिनांक: 31.03.2019 तक अनंतिम मान्यता प्रदान करने में प्रबंधन को प्रसन्नता है।

2. ए.ए. अधिकारी संघ (I) की मान्यता, मान्यता स्वीकार करने की तिथि से दिनांक: 31.03.2019 तक लागू रहेगी या जब तक संघ अधिनियम के तहत पंजीकरण जारी रखता है या भा.वि.प्रा. का प्रबंधन मान्यता को रद्द नहीं करता है, जो भी पहले हो।

3. यह उम्मीद की जाती है कि ए.ए. अधिकारी संघ (I) के सभी सी.ई.सी. सदस्य संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों को बेहतर बनाने का अपने प्रयासों में प्रबंधन का सहयोग करेगा। संघ, उद्योग/ भा.वि.प्रा. के अनुशासन संहिता के साथ अधिकारी संघों को मान्यता देने का भा.वि.प्रा. नीति खंड का भी पालन करेगा।

4. किसी भी खंड/ शर्त के उल्लंघन पर प्रबंधन, सी.एन.एस. संवर्ग अधिकारी संघ के तहत ए.ए. अधिकारी संघ (I) को प्रदान किया गया मान्यता वापस ले सकते है।

ह/-
(संजय जैन)

कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

सं. ए. 60011/69/अधिकारी संघ के मान्यता/ 2017-आई.आर./1678 दिनांक: 22/05/2018

सेवा में,

महासचिव
वायु यातायात नियंत्रक गिल्ड (भारत)
टी-1/7, आई.एन.ए. कॉलोनी
नई दिल्ली 110023

विषय: <u>वायु यातायात नियंत्रक गिल्ड (I) को ए.टी.सी. संवर्ग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघ के रूप में मान्यता प्रदान करना।</u>

महोदय,

भा.वि.प्रा. में अधिकारी संघों को मान्यता देने संबंधी नीति के गठन और प्रसार एवं दिनांक: 27.06.2017 की पत्र संख्या *ए.60011/69/ अधिकारी संघ के मान्यता/2017-आई.आर./728-35* तथा दिनांक: 11.09.2017 को अधिकारी संघ को मान्यता प्रदान करने के विषय पर भा.वि.प्रा. के सभी अधिकारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के नतीजे एवं इस कार्यालय के दिनांक: 17/23 जनवरी 2018 के जारी पत्र के अनुसार, दिनांक: 22.03.2018 को आपके द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने पर, वायु यातायात नियंत्रक गिल्ड (I) (पंजीकरण सं. 1961-1965 के एस. 2561) को ए.टी.सी. संवर्ग अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भा.वि.प्रा. के मान्यता प्राप्त अधिकारी संघ के रूप में मान्यता प्रदान करने में प्रबंधन को प्रसन्नता है।

2. वायु यातायात नियंत्रक गिल्ड (I) की मान्यता दिनांक: 09.11.2019 तक लागू होगा या जब तक संघ अधिनियम के तहत पंजीकरण जारी रखता है या भा.वि.प्रा. का प्रबंधन मान्यता को रद्द नहीं करता है, जो भी पहले हो।

3. यह उम्मीद की जाती है कि वायु यातायात नियंत्रक गिल्ड (I) के सभी सी.ई.सी. सदस्य संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों को बेहतर बनाने का अपने प्रयासों में प्रबंधन का सहयोग करेगा। संघ, उद्योग/ भा.वि.प्रा. के अनुशासन संहिता के साथ अधिकारी संघों को मान्यता देने का भा.वि.प्रा. नीति खंड का भी पालन करेगा।

4. किसी भी खंड/ शर्त के उल्लंघन पर प्रबंधन, ए.टी.सी. संवर्ग अधिकारी संघ के तहत वायु यातायात नियंत्रक गिल्ड (I) को प्रदान किया गया मान्यता वापस ले सकते है।

ह/-

(संजय जैन)

कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

संलग्नक : नमूना प्रति